


न्यायालय श्री मान राजेंद्र मंडल ज्वा लियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला -रीवा

रैज्य 5267-II/16

म०प्र०

(16)



अभि. श्री एस.एन. सुर्यपाल स्वामी शिवाजी प्रगत रेड्डी लि. --- आवेदक
 मिश्रा डा. गोमती वगैरह स्वामी शिवाजी रेड्डी लि. --- अनारो
 नरुण्डा
 रीवा 6/16

निगरानी प्रकरण 2259/निग
 12-13

आवेदन पत्र वावत पुनस्थापित
 किये जाने निगरानी प्रकरण ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 म०प्र०
 म०प्र० 1959 ई०।

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-


- 1- यहकि उपरोक्त उन्वान का निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय मे चल रहा है जिसमे तारीख पेगी दिनांक 14-6-2016 अंतिम तर्क हेतु नियत थी
- 2- यह कि उक्त निगरानी प्रकरण मे आवेदक / अनारो निगरानीकर्ता के अभियोग महोदय पेगी मे उपस्थित होते थे, एवं उन्ही के द्वारा प्रकरण की पैरवी की जात रही है ।
- 3- यहकि उक्त निगरानी प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत 14-6-16 को नियत

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो..5267-दो / 2016

जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश सूर्यपाल विरूद्ध गोमती	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-11-2016	<p>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एस0एन0 मिश्रा उपस्थित। उन्हें प्रकरण में कायमी के बिन्दु पर सुना गया।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि दिनांक 14.6.16 को प्रकरण क्रमांक निग0-2259/12-13 अंतिम तर्क हेतु नियत था तथा इस नियत दिनांक को आवेदक के अधिवक्ता को बुखार आ जाने से अस्वस्थता के कारण वे नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके थे। प्रकरण को पुनः स्थापित कर सुनवाई में लिए जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>विचारोपरांत यह रेस्टो0 आवेदन स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण क्रमांक 2259/निग0/12-13 को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। मूल प्रकरण में पेशी नियत की जाकर पक्षकारगण को सूचना दी जावे।</p> <p>उपरोक्त निर्देशों के साथ यह पुनर्स्थापन आवेदन समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।</p>	 सदस्य